

अन्तिम डिक्री
डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(अ. आ. 20 नियम 6-7 व्य.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 485/2025

राजकुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)

-वादी

- बनाम्
1. ओमप्रकाश पुत्र श्री रतीराम जाति नायक निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 2. कमलेश पुत्री श्री रतीराम जाति नायक निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 3. कृष्णलाल पुत्र श्री रूपराम जाति नायक निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 4. चावली पुत्री श्री रतीराम जाति नायक निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 5. बाधोदेवी पत्नी श्री रतीराम जाति नायक निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 6. मीरां पुत्री श्री रूपराम जाति नायक निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 7. रमेश कुमार पुत्र श्री रूपराम जाति नायक निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 8. रेश्मा पत्नी श्री रूपराम जाति नायक निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 9. राजेंद्र कुमार पुत्र श्री रूपराम जाति नायक निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 10. शारदा पुत्री श्री रतीराम जाति नायक निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 11. सन्तोष पुत्री श्री रूपराम जाति नायक निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 12. सुमन पुत्री श्री रूपराम जाति नायक निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 13. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

उपस्थिति :-

- प्रतिवादीगण

वादी की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादी पेश होने पर तहसीलदार(राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया के पत्रांक प्रा. डिक्री/भू. अ./2025/4964/ दिनांक 02.12.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव चक 16 एम. के.एस. के खाता सं. 185/33 कुल रकबा 1.012 हेक्. का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा सहमति देने पर वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादी का खाता मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार अलग कायम किया जावे:-

चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 185/33:-

राज कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया

प.न. मु.न.
167/225 13

कि.न.

8/0.253 है., 9/0.253 है., 12/0.050 है.,

13/0.051 है.,

कुल- 0.607 हेक्.

ओमप्रकाश, कमलेश, चावली, शारदा, पुत्र/पुत्रीया रतिराम, बायो देवी पत्नी श्री रतिराम ब.हि.ब. 1/2 हिस्सा कृष्णलाल, मीरा, रमेश, राजेन्द्र कुमार, संतोष, सुमन पुत्र/पुत्रीयां रूपराम, रेशमा पत्नी श्री रूपराम ब.हि.ब. 1/2 हिस्सा समस्त जाति नायक निवासी नगराना तहसील संगरिया

प.न. मु.न.
167/225 13

कि.न.

12/0.203 है., 13/0.202 है.,

कुल- 0.405 हेक्.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायलय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के अधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा. भू.अ./2025/4964 दिनांक 02.12.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का अवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। यदि हक व हिस्सा प्रभावित नहीं हों तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निजX..... निलX..... मुब्लिकX.....निलX..... बाबत
.....निल.....X..... खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकX.....को अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 23.12.2025 को जारी किया जाता है।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
संगरिया